

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प. 15(01)2017/कार्मिक-स्ट्रेन्थ/प्रमुवसं/ 3025- 3049  
निमित्त,

दिनांक: 6-9-2017

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान जयपुर।  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं निदेशक वानिकी प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर।  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टी.आर.ई.ई. राजस्थान जयपुर।  
 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।  
 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्य तेन्दू पत्ता योजना, राजस्थान जयपुर।  
 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन राज.जयपुर/कोटा/जयपुर (अरावली भवन)/  
 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य जयपुर।  
 परियोजना निदेशक, राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-II, राजस्थान जयपुर।  
 मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर/ भरतपुर/ बीकानेर/ जोधपुर/ अजमेर।  
 मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर/ वन्य जीव जोधपुर/ वन्य जीव कोटा/ वन्यजीव उदयपुर/  
 वन्यजीव भरतपुर/ वन्य जीव सरिस्का (अलवर)।  
 मुख्य वन संरक्षक, आर.वी.पी.कोटा। मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना, जयपुर।  
 मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर।  
 उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

विषय:- आगामी वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए आय-व्यय अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए संशोधित अनुमान (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में) नियमित, स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण अद्यतन करने के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग राजस्थान सरकार का बजट परिपत्र क्रमांक एफ. 4(36) वित्त-1(1) आ.व्यय/2017 दिनांक 30.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक बजट परिपत्र वित्त विभाग राज्य सरकार की वेबसाईट का अवलोकन करें। उक्त बजट परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार सूचना तत्काल ऑनलाइन करते हुए हार्ड-कॉपी में सूचनाएँ भिजवाना सुनिश्चित करें।

अतः राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार निम्न सारणी अनुसार आपके संभाग से संबंधित संकलित सूचना तैयार की जाकर ऑनलाइन (IFMS) करते हुए अति 0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान जयपुर को 3 दिवस के भीतर इस कार्यालय में फ़ैक्स (न.0141-2713758) एवं ई-मेल - [dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in](mailto:dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in) पर दिनांक 8.09.2017 तक भिजवाना सुनिश्चित करावें, ताकि विभाग की संकलित सूचना ऑन लाईन (IFMS) की जाकर राज्य सरकार को भिजवाई जा सकें।  
कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

1	प्रपत्र-1-अ	नियमित स्वीकृत पदों का विवरण।
2	प्रपत्र-1-ब	स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण।
3	प्रपत्र-1-स	विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण (स्वीकृत पदों के अतिरिक्त)।

संलग्न:- उक्तानुसार

(एस.के.जेन)

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
 राजस्थान, जयपुर

दिनांक:

क्रमांक:-प. 15(01)2017/कार्मिक-स्ट्रेन्थ/प्रमुवसं/

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित कर लेख है कि आपके कार्यालय कि वांछित सूचना उक्त निर्धारित प्रपत्र में 3 दिवस के भीतर इस कार्यालय में फ़ैक्स (न.0141-2713758) से एवं ई-मेल -

[dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in](mailto:dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in) पर भिजवाना सुनिश्चित करावें:-

समस्त उप वन संरक्षक/भू-संरक्षण अधिकारी/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बंदोबस्त अधिकारीगण।

(डी.पी.जागावत)

उप वन संरक्षक (प्रस्थापना-अराजपत्रित)  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर

प्रपत्र-1

(अ) नियमित / कार्य-प्रभारित स्वीकृत पदों का विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ गुप शीर्ष	राज्यनिधि /केन्द्रीय सहायता	पद नाम	ग्रेड पे तथा ग्रेड पे संख्या	वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या	नियमित कार्यरत कर्मचारी		रिक्त पदों की संख्या [6-(7+8)]
						1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त	1 जनवरी, 2004 तथा उसके पश्चात् नियुक्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट: i. स्वीकृत पदों की प्रविष्टि करते समय नियमित / कार्य-प्रभारित में से चयन करें। नियमित एवं कार्य-प्रभारित पदों का विवरण पृथक-पृथक प्रेषित किया जावे।

- ऑनलाइन प्रविष्टि (entry) के लिए कॉलम 2 के लिए बजट शीर्ष भरना होगा। कॉलम संख्या 3 में राज्य निधि/केन्द्रीय सहायता में से किसी एक का चयन करना होगा। कॉलम 7 व 8 की सूचना की प्रविष्टि करना अनिवार्य है। शेष कॉलम की सूचना विभागों द्वारा पूर्व में प्रविष्टि की गई सूचना के आधार पर स्वतः ही इस प्रपत्र में दर्शित होगी जिसे संबंधित विभाग द्वारा अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।
- स्वीकृत स्टाफ के वे पदनाम ही दर्शाए जाएं जो कि संबंधित सेवा नियम तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) में अंकित हैं। इस विवरण की सत्यता की जांच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि पदों के संदर्भ में उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-1

(ब) स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कर्मियों का विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष-मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ श्रुप शीर्ष	राज्यनिधि /केन्द्रीय सहायता	पद नाम	श्रेण्ड पे	रिक्त पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार	संख्या	कुल वार्षिक वित्तीय भार (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1 कर्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार 2 तदर्थ अस्थाई नियुक्ति 3 पुनर्नियुक्ति 4 ऐजेन्सी के माध्यम से 5 प्रत्यक्ष संविदा 6 अन्य		

नोट:- 1. ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उन्हीं बजट शीर्ष में प्रविष्टि सम्भव होगी जो प्रपत्र 1(अ) में अंकित किए गए हैं। कॉलम 3, 4, 5 व 6 में सूचना चयन के आधार पर स्वतः उपलब्ध होगी। शेष सभी कॉलम में सूचना की प्रविष्टि करनी होगी।  
2. स्वीकृत स्टाफ के वे पदनाम ही दर्शाए जाए जो कि संबंधित सेवा नियम तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) में अंकित हैं। इस विवरण की सत्यता की जाँच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि पदों के संदर्भ में उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाँच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-1

(स) विभाग में कार्यरत अन्य कर्मियों का विवरण (स्वीकृत पदों के अतिरिक्त)

कार्यालय/विभाग का नाम.....

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष/ उप-मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/उप-शीर्ष/ गुप शीर्ष	लेखे का शीर्ष -	राज्यनिधि / केन्द्रीय सहायता	पद नाम	संख्या	वार्षिक वित्तीय भार (रुपये सहस्र में)
1		2	3	4	5	6

नोट: (1) ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए कॉलम 2 की प्रविष्टियां उन्हीं शीर्षों के लिए होंगी जो विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारी से संबन्धित हैं।

(2) कॉलम संख्या 3 में राज्य निधि/केन्द्रीय सहायता में से किसी एक का चयन करना होगा।

(3) उपलब्ध करवाए गए विवरण की सत्यता की जांच कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र देते हुए की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है।

कार्यालयाध्यक्ष